

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर (छ0ग0)

// आदेश //

क्रमांक/रीडर.जि.द./1616 /2020

बिलासपुर, दिनांक 09 अप्रैल, 2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक रीडर-जि0दण्डा0/1537/2020/बिलासपुर दिनांक 24.03.2020 एवं आदेश क्रमांक रीडर-जि0दण्डा0/1587/2020/बिलासपुर दिनांक 31.03.2020 द्वारा आदेश प्रसारित किये गए हैं।


2. इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेशों के तहत जिला बिलासपुर के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 14.04.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया गया है।
3. इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त दोनों आदेशों की कंडिका "स" में वर्णित कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 03.04.2020 के परिपालन में कंडिका "स" वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं को भी शर्तों के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) से छूट प्रदान की जाती है।

स-26. निम्न वस्तुओं/सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण, एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियां :-

- चाय उद्योग

32. इस कंडिका में कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान के साथ निम्न को भी जोड़ा जाता है :-
"कृषि मशीनरी विक्रय इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों (इस की सप्लाई चेन सहित) को खुला रखना"
37. राज्य मार्गों पर ट्रकों के मरम्मत हेतु दुकानें जो यथा संभव पेट्रोल पंपों या उसके आस-पास स्थित हो।
4. छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक 211/मु.स./2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25.03.2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, के पत्र क्रमांक 161/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.03.2020 के माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि-

"अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उसके जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्द्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मसी, (जन औषधी केन्द्र सहित) मेडिकल इक्विपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की सेवाएं



संचालित रहेंगे। चिकित्सक, नर्स पैरामेडिकल स्टॉफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सीय कार्य में कार्यरत स्टॉफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी जाये।”

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40/3/2020 DM-I(A)दिनांक 06.04.2020 के परिपालन में देश में चिकित्सा ऑक्सीजन (Medical Oxygen) के पर्याप्त आपूर्ति बनाएं रखने के लिये उपरोक्तानुसार चिकित्सा क्षेत्र की संचालित सेवाओं में निम्नानुसार सेवाओं को जोड़ते हुए इन सेवाओं को भी शर्तों के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (Lock Down) से छूट प्रदान की जाती है :-

- मेडिकल ऑक्सीजन गैस/लिक्विड, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एंविंयंट वेपोराईजर एवं क्रायोजेनिक वाल्व (Ambient Vaporisers & Cryogenic Valves) सिलेण्डर वाल्व तथा इनके सहायक उपकरणों की सभी निर्माण ईकाईयां (All manufacturing units)
- उपरोक्त वस्तुओं (Items) का परिवहन
- उपरोक्त वस्तुओं का अंतर्राज्यीय सीमा पार आवागमन(Inter state border movement)
- उपरोक्त वर्णित ईकाईयों में कार्यरत स्टॉफ/श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। उक्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने-जाने के लिये पास प्रदान किये जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि ये सभी कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करें।
- 5. उक्त कंडिका “स” के अंतर्गत पूर्व के आदेशों एवं इस आदेश के तहत लॉकडाउन से छूट प्रदान किये गए कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी की लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग, तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहें निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 6. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुये इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश-
 - क्रमांक /रीडर-जि0 दण्डा0/1537/2020/ बिलासपुर दिनांक 24.03.2020
 - क्रमांक /रीडर-जि0 दण्डा0/1587/2020/ बिलासपुर दिनांक 31.03.2020
 के अनुक्रम (Continuation) में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



कलेक्टर
 एवं जिला दण्डाधिकारी
 बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
 बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/रीडर.जि.द. 1616-A/2020
प्रतिलिपि-

बिलासपुर, दिनांक 09 अप्रैल, 2020

- 1- अतिरिक्त, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ ।
- 2- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, को सादर सूचनार्थ ।
- 3- आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ ।
- 4- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ ।
- 5- पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर,
- 7- आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर,
- 8- महा प्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, बिलासपुर,
- 9- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलासपुर/कोटा/बिल्हा/मस्तुरी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 10- उप संचालक, जनसंपर्क, बिलासपुर को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 11- सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 12- सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 13- सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत जिला- बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छोगो)
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)